नमस्कार,

सिलवासा नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है जिस पेज को आप देख रहे है

यह पेज आंकलन फॉर्म सुधार पेज है| सिलवासा नगर पालिका ने दादरा एवं नगर हवेली नगर पालिका अधिनियम 2004 कि धारा 115 के उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत सिलवासा नगर पालिका के समस्त क्षेत्र में प्रॉपर्टी सर्वे (F.Y. 2019-2022) का काम किया है| इस के बाद हम ने आंकलन लिस्ट को दिनांक 08-01-2018 छपवाई है और घर घर जाकर सम्पति कर आंकलन नोटिस दिया है.

इस सम्पति कर आंकलन नोटिस के अंतर्गत आपकी सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई त्रूटि है या नगर पालिका के पास आपकी सम्पत्ति से सम्बंधित अन्य जानकारी शेष रह गई है तो नगर पालिका द्वारा उस त्रुटि और अन्य शेष जानकारी को दुरुस्त करने के लिए ऑनलाइन संपत्ति कर आंकलन सुधार फॉर्म बनाया गया है |
इस ऑनलाइन संपत्ति कर आंकलन सुधार फॉर्म के माध्यम से आप अपनी सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई त्रूटि और अन्य शेष जानकारी को इस संपत्ति कर आंकलन सुधार फॉर्म को भरकर दुरुस्त करवा सकते है |
अब हम आपको एक एक करके बताएँगे कि कैसे इस ऑनलाइन फॉर्म को भरा जा सकता है|

1. पहले खाने में आप की प्रॉपर्टी आईडी बताई जा रही है यह क्षेत्र परिवर्तित नहीं किया जा सकता है आप की Property ID स्थायी है और आने वाले समय में भी और कोई कोड मिलने के पश्चात भी आपकी प्रॉपर्टी आईडी यही रहेगी I अगर जितनी बार संपत्ति का बटवारा/विभाजन होता है अथवा नई संपत्ति का निर्माण होता है तो एक नई प्रॉपर्टी आईडी दी जाती है|

   इसके पश्चात 2 नंबर

2. नगर पालिका में इस समय कुल 15 वार्ड है इस क्षेत्र में आपका वार्ड पहले से ही दर्शाया गया है अगर आपको लगता है कि आपका वार्ड इसमें गलत दर्शाया गया है| और आप किसी अन्य वार्ड के सभासद को चुनने के लिए वोट करते है तो कृपया आप इसमें नया वार्ड नंबर डालें|
   तत्पश्चात नोटिस नंबर आता है यह नोटिस नंबर सम्पत्ति कर आंकलन नोटिस में ओनर डिटेल्स के क्षेत्र में पाया जाता है यदि आप के पास यह नोटिस नहीं आया है तो कृपया आप सिलवासा नगर पालिका में जाकर दुबारा सम्पत्ति कर आंकलन नोटिस प्राप्त कर सकते है |

   इसके पश्चात 3 नंबर

3. ओनर नाम अर्थात मालिक का नाम, इस क्षेत्र में उस व्यक्ति एवं स्त्री या पुरुष नाम आता है जो उस संपत्ति का विधिक मालिक है| यदि आप इस क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते है| तो आप पहले चेक बॉक्स में टिक( ) करके इस कॉलम में विधिक मालिक का नाम दर्ज करें| मालिक का नाम परिवर्तन करने के लिए सबूत के तौर पर विभिन्न दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है| अगर आप का नाम नगर पालिका सिलवासा के रिकॉर्ड में दर्ज है और संपत्ति की रजिस्ट्री, वसीयत पत्र, सेल डीड, राजस्व रिकॉर्ड, आदि वैध दस्तावेजों के माध्यम से आप अपना नाम परिवर्तन कर सकते है| यदि आप एक से ज्यादा दस्तावेजों को अपलोड करते है तो आप का दस्तावेज स्वत: स्वीकार कर लिया जायेगा | यदि

आप एक दस्तावेज को अपलोड करते है तो आप को सुनवाई हेतू नगर पालिका सिलवासा में बुलाया जा सकता है| आप अपने दावों से संबंधित दस्तावेजों को बगल में अपलोड क्षेत्र में दर्ज करें |

इसके पश्चात 4 नंबर

Father's/Husband's Name अर्थात पिता / पति का नाम

इस क्षेत्र में १८ वर्ष से कम आयु की विवाहित युवतियो को अपने पति का नाम यहाँ पर दर्ज करें| और जो संपत्ति वसीयत के द्वारा पति से प्राप्त हुई है तो अपने पति का नाम दर्ज करें और अन्य हर परिस्तिथियों में अपने पिता का नाम दर्ज करें| आप अपने दावों से संबंधित दस्तावेजों को बगल में अपलोड क्षेत्र में दर्ज करें|

इसके पश्चात 5 नंबर

Spouse Name अर्थात पति/पत्नी का नाम

यदि आपका सम्पति कर सर्वे के दौरान आप शादीशुदा थे तो यदि आपने अपने पति/पत्नी का नाम बताया है तो आप स्पाउस नाम क्षेत्र में लिखा होगा | यदि इस क्षेत्र में नहीं लिखा है और आप शादीशुदा है तो कृपया आप अपने पति/पत्नी का नाम इस क्षेत्र में लिखे| आप अपने दावों से संबंधित दस्तावेजों को बगल में अपलोड क्षेत्र में दर्ज करें|

इसके पश्चात 6 नंबर

मोबाइल नंबर

अगर इस क्षेत्र में आप का मोबाइल नंबर गलत है या दर्ज नहीं है तो संपत्ति मालिक का उपयोग किये जाने वाला १० डिजिट वाला मोबाइल नंबर दर्ज करे| मोबाइल नंबर दर्ज करने के पश्चात् आपका पंजीकरण दर्ज करने के लिए आपके मोबाइल में एक OTP आएगा कृपया इस OTP को दर्ज करें|

इसके पश्चात 7 नंबर

आधार नंबर :-

आधार संख्या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत यूआईडीएआई द्वारा भारत के सभी निवासियों को जारी की जाने वाली 12 अंकों की एक रैंडम संख्या है। आधार नम्बर पहचान का सबूत है तथापि यह आधार नम्बर धारक को नागरिकता और अधिवास संबंधी कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। आधार प्रणाली निवासियों को देश भर में ऑनलाईन पहचान सत्यापन का एकमात्र स्त्रोत प्रदान करती है। और कई सरकारी योजना में उपयोग किया जाता है |

इस कॉलम में आधार नंबर जरुरी नहीं है | परन्तु आप को सुझाव दिया जाता है कि आधार राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है क्योंकि यह कहीं भी ऑन-लाईन प्रमाणीकृत किया जा सकता है। और यह महत्वपूर्ण है यदि आप के पास आधार नंबर है और आप को कोई आपत्ति नहीं है तो अपना यहाँ पर १२ अंको का आधार नंबर दर्ज करें | और बगल में अपलोड क्षेत्र में आधार दस्तावेज को अपलोड / संग्लन करें | यहाँ पर आधार नंबर सम्पति के मालिक होना चाहिए|

इसके पश्चात 8 नंबर

Sex अर्थात लिंग

इस क्षेत्र में स्त्री के लिए F , पुरुष के लिए M और ट्रांसजेंडर के लिए T दर्ज करें|

इसके पश्चात 9 नंबर

ईमेल आईडी

अगर इस क्षेत्र में आप का ईमेल आईडी गलत है या दर्ज नहीं है तो संपत्ति मालिक का उपयोग किये जाने वाला ईमेल आईडी है तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दर्ज करें| ईमेल आईडी दर्ज करने के पश्चात् आपका पंजीकरण दर्ज करने के लिए आपके ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा कृपया इस OTP को दर्ज करें |

इसके पश्चात 10 नंबर

Property owner's correspondence address

संपत्ति मालिक का पत्राचार पता

अगर इस क्षेत्र में संपत्ति के मालिक का इस संपत्ति से पता भिन्न है और इस संपत्ति के पता से अलग है या अन्य किसी स्थान पर किसी अन्य संपत्ति में निवास करता है तो संपत्ति मालिक को पत्राचार के पता में पत्राचार के लिए अपने निवास के स्थान का पता दर्ज करें | अन्यथा खाली छोड़ दें |

इसके पश्चात 11 नंबर

Occupier Name

इस क्षेत्र में संपत्ति का मालिक ही रहने वाला या कब्जाधारी है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें | यदि रहने वाला या कब्जाधारी संपत्ति के मालिक से अलग है तो इस में रहने वाले या कब्जाधारी का नाम दर्ज करें | संपत्ति कर देने का हक संपत्ति मालिक का होता है यदि मालिक उपलब्ध नहीं है और नहीं पाया जाता है तो संपत्ति में रहने वाले या कब्जाधारी का कर्तव्य होता है कि वह इस संपत्ति कर का भुगतान करें | रहने वाले या कब्जाधारी का नाम दर्ज करने के लिए दस्तावेजों को अपलोड या संग्लन करना अनिवार्य है अगर आप का नाम नगर पालिका सिलवासा के रिकॉर्ड में दर्ज है और वसीयत पत्र, रेन्ट एग्रीमेन्ट, आधार, पासपोर्ट आदि अन्य वैध दस्तावेजों के माध्यम से आप अपना नाम दर्ज कर सकते है | यदि आप एक से ज्यादा दस्तावेजों को अपलोड करते है तो आप का दस्तावेज स्वत: स्वीकार कर लिया जायेगा | यदि आप एक दस्तावेज को अपलोड करते है तो आप को सुनवाई हेतू नगर पालिका सिलवासा में बुलाया जा सकता है| आप अपने दावों से संबंधित दस्तावेजों को बगल में अपलोड क्षेत्र में दर्ज करें|

इसके पश्चात 12 नंबर

Sex अर्थात लिंग

इस क्षेत्र में स्त्री के लिए F , पुरुष के लिए M और ट्रांसजेंडर के लिए T दर्ज करें|

इसके पश्चात 13 नंबर

Father's/Husband's Name अर्थात पिता / पति का नाम

इस क्षेत्र में १८ वर्ष से कम आयु की विवाहित युवतियो को अपने पति का नाम यहाँ पर दर्ज करें | और जो संपत्ति वसीयत के द्वारा पति से प्राप्त हुई है तो अपने पति का नाम दर्ज करें और अन्य हर परिस्तिथियों में अपने पिता का नाम दर्ज करें| आप अपने दावों से संबंधित दस्तावेजों को बगल में अपलोड क्षेत्र में दर्ज करें|

इसके पश्चात 14 नंबर

मोबाइल नंबर

अगर इस क्षेत्र में आप का मोबाइल नंबर गलत है या दर्ज नहीं है तो कब्जाधारी का उपयोग किये जाने वाला १० डिजिट वाला मोबाइल नंबर दर्ज करे| मोबाइल नंबर दर्ज करने के पश्चात् आपका पंजीकरण दर्ज करने के लिए आपके मोबाइल में एक OTP आएगा कृपया इस OTP को दर्ज करें |

इसके पश्चात 15 नंबर

ईमेल आईडी

अगर इस क्षेत्र में आप का ईमेल आईडी गलत है या दर्ज नहीं है तो कब्जाधारी द्वारा उपयोग किये जाने वाला ईमेल आईडी है तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दर्ज करें| ईमेल आईडी दर्ज करने के पश्चात् आपका पंजीकरण दर्ज करने के लिए आपके ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा कृपया इस OTP को दर्ज करें |

इसके पश्चात 16 नंबर

आधार नंबर :-

आधार संख्या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत यूआईडीएआई द्वारा भारत के सभी निवासियों को जारी की जाने वाली 12 अंकों की एक रैंडम संख्या है। आधार नम्बर पहचान का सबूत है तथापि यह आधार नम्बर धारक को नागरिकता और अधिवास संबंधी कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। आधार प्रणाली निवासियों को देश भर में ऑनलाईन पहचान सत्यापन का एकमात्र स्त्रोत प्रदान करती है। और कई सरकारी योजना में उपयोग किया जाया है |

इस कॉलम में आधार नंबर जरुरी नहीं है | परन्तु आप को सुझाव दिया जाता है कि आधार राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी प्रदान करता है क्योंकि यह कहीं भी ऑन-लाईन प्रमाणीकृत किया जा सकता है। और यह महत्वपूर्ण है यदि आप के पास आधार नंबर है और आप को कोई आपत्ति नहीं है तो अपना यहाँ पर १२ अंको का आधार नंबर दर्ज करें | और बगल में अपलोड क्षेत्र में आधार दस्तावेज को अपलोड/संग्लन करें| यहाँ पर आधार नंबर रहने वाले या कब्जाधारी का होना चाहिए|

इसके पश्चात 17 नंबर

Flat No.

फ्लैट नंबर उस परिस्थिति में जरुरी है अगर आप की प्रॉपर्टी किसी सोसाइटी का हिस्सा है | और इस क्षेत्र में दी गई जानकारी गलत या खाली है तो इस क्षेत्र में सही फ्लैट नंबर दर्ज करें | यदि आपकी संपत्ति किसी सोसाइटी के अधीन नहीं है और आप के पास खुद का बंगला या अपना घर है तो उस परिस्थिति में उस स्थान को खाली छोड़ दें | अगर इस क्षेत्र में फ्लैट नंबर में कुछ लिखा है तो इसे रद्द कर दें| आप अपने दावों से संबंधित दस्तावेजों को बगल में अपलोड क्षेत्र में दर्ज करें|

इसके पश्चात 18 नंबर

House no.

अगर इस क्षेत्र में दी गई जानकारी गलत या खाली है तो जो आप के पास पहले से ही संपत्ति का हाउस नंबर है उसे दर्ज करे | नगर पालिका आपको सूचित करता है कि शीघ्र ही प्रॉपर्टी सर्वे के आखरी चरण में नगर पालिका क्षेत्र में सभी संपत्ति को नया हाउस नंबर दिया जायेगा| आप अपने दावों से संबंधित दस्तावेजों को बगल में अपलोड क्षेत्र में दर्ज करें|

इसके पश्चात 19 नंबर

BUILDING Name

इस क्षेत्र में यदि आप के संपत्ति/ बिल्डिंग का कोई नाम है तो कृपया यहाँ दर्ज करे| अगर संपत्ति/ बिल्डिंग का नाम नहीं है तो खाली छोड़ दे|

इसके पश्चात 20 नंबर

Road Name

इस क्षेत्र में यदि आप अपनी संपत्ति का सड़क/गली की नंबर/नाम जानते है तो यहाँ दर्ज करे | अगर आप नहीं जानते है तो आप नगर पालिका में जाकर या किसी अन्य माध्यम से भी पता करके इस क्षेत्र में दर्ज करें| अन्यथा खाली छोड़ दें|

इसके पश्चात 21 नंबर

Sub locality

इस क्षेत्र में आप अपना संपत्ति का पता अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और अन्य वैध दस्तावेजों के अनुसार दर्ज करें| अन्यथा खाली छोड़ दें|

इसके पश्चात 23 नंबर

locality

अगर इस क्षेत्र में दी गई जानकारी गलत या खाली है तो आप अपना संपत्ति का पता अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य वैध दस्तावेजों के अनुसार दर्ज करें और संबंधित दस्तावेजों को बगल में अपलोड क्षेत्र में दर्ज करें|

इसके पश्चात 24 नंबर

Landmark

इस क्षेत्र में आप अपनी संपत्ति के नजदीक कोई प्रसिद्ध (धार्मिक स्थान, बिल्डिंग का नाम, चौराहा का नाम, पार्क आदि) का नाम दर्ज करें |

इसके पश्चात 25 नंबर

Electric Service Connection no.

इस क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रिक सर्विस कनेक्शन नंबर गलत है या खाली है तो कृपया आप की संपत्ति पर दा. न. हा. ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा मिलने वाला ऊर्जा बिल को देख कर सर्विस कनेक्शन नंबर को दर्ज करें और इस ऊर्जा बिल को साथ में अपलोड/संग्लन करें |

इसके पश्चात 26 नंबर

Survey & Plot No.

यह क्षेत्र आप के जमीन संपत्ति की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सर्वे नंबर और प्लाट नंबर से सम्बंधित है यदि आप को सर्वे नंबर और प्लाट नंबर मालूम/ज्ञात है तो आप सर्वे नंबर कॉलम में सर्वे नंबर और प्लाट नंबर वाले कॉलम में प्लाट नंबर दर्ज करें| यदि आप को सर्वे नंबर और प्लाट नंबर मालूम/ज्ञात नहीं है तो जानने के लिए आप जमीन/संपत्ति से सम्बंधित लैंड रेवेनएउ दस्तावेजों को देख सकते है या राजस्व विभाग में जमीन/संपत्ति से सम्बंधित पटवारी से मिलकर मालूम/ज्ञात कर सकते है| इसके पश्चात सर्वे नंबर और प्लाट नंबर दर्ज कर सकते है|

इसके पश्चात 27 नंबर

SMC House Property No.

यह क्षेत्र नगर पालिका से प्राप्त संपत्ति कर रसीद पर दर्शाये गए हाउस प्रॉपर्टी नंबर से सम्बंधित है यदि इस क्षेत्र में दी गई जानकारी गलत या खाली है तो आप इस क्षेत्र में नगर पालिका से प्राप्त संपत्ति कर रसीद पर दर्शाये गए हाउस प्रॉपर्टी नंबर दर्ज करें| और इस संपत्ति कर रसीद को साथ में अपलोड/संग्लन करें|

इसके पश्चात 28 नंबर

Arrear Amount

इस क्षेत्र में आप की संपत्ति का संपत्ति कर का बकाया दर्शाया गया है संपत्ति कर का भुगतान करना हर संपत्ति मालिक / कब्जाधारी का कर्तव्य है | यदि आप को लगता है कि दी गई जानकारी गलत या सही नहीं है तो कृपया आप इस कॉलम में सही जानकारी दर्ज करें और साथ में नगर पालिका से प्राप्त संपत्ति कर रसीद को साथ में अपलोड/संग्लन करें| यदि दी गई जानकारी सही है तो आप इसे अपरिवर्तित छोड़ दें|

इसके पश्चात 29 नंबर

Location Class(1,2,3,4)

नगर पालिका ने अपने नगर सीमा में हर एक प्रॉपर्टी को स्थान वर्ग (लोकेशन क्लास) में डाला है | आपकी संपत्ति किस स्थान वर्ग में है उस पर निर्भर करता है | स्थान वर्ग (लोकेशन क्लास) जानने के लिए स्थान वर्ग के बगल में एक बटन (Download Location Map) का दिया है | इस बटन को दबा कर लोकेशन क्लास मैप को हाई रेज़लूशन पर देख सकते है |इस मैप को देखकर आप पता लगा सकते है की आप की संपत्ति किस स्थान वर्ग (लोकेशन क्लास) में है |

इसके पश्चात 30 नंबर

B. Property Related.

इस क्षेत्र में आपकी संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है आप को ज्ञात होगा कि आप की संपत्ति कई तल/मंजिल की हो सकती है और हर तल/मंजिल पर अलग-अलग उपयोग हो सकता है और अलग-अलग एरिया, निर्माण का प्रकार, स्वयं/किराये आदि हो सकता है | सर्वे के अनुसार इन कॉलम में ज्ञात जानकारी को पहले से ही दर्शाया गया है| सर्वे के अलावा यदि आप को लगता है कि दी गई जानकारी गलत है तो आप एडिट (EDIT) कॉलम में टिक ( ) करके तल/मंजिल, संपत्ति का उपयोग, निर्मित क्षेत्र, निर्माण का प्रकार और स्वयं/किराये के कॉलम में सही जानकारी दर्ज करें| निर्मित क्षेत्र (एरिया) कॉलम में (Per Sq. feet) में दर्ज करना अनिवार्य है| यदि आप को लगता है कि कोई तल/मंजिल अधिक दर्शाया हुआ है तो आप बगल में डिलीट (DELETE) कॉलम में टिक ( ) कर के रद्द का दावा दर्ज कर सकते है| यदि आप को लगता है कि कोई तल/मंजिल कम दर्शाया हुआ है तो आप तल/मंजिल के नीचे +Add row बटन को दाबा कर तल/मंजिल,संपत्ति का उपयोग, निर्मित क्षेत्र, निर्माण का प्रकार और स्वयं/किराये के कॉलम में सही जानकारी दर्ज करें|

इस क्षेत्र के दावों के दस्तावेजों को आप +Add row के नीचे Property Use Document और Covered Area Document को सेलेक्ट कर के दर्ज करें|

आप को सबूत के तौर पर हर दावे से सम्बंधित दस्तावेजों को अपलोड / संग्लन करना अनिवार्य है |

इसके पश्चात 31 नंबर

Applicant Name

Applicant Contact No.

इस क्षेत्र में Applicant Name column में आवेदक का नाम और Applicant Contact no. में आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है भले ही आवेदक संपत्ति का मालिक हो या कोई ओर व्यक्ति हो हर परिस्थिति में आवेदक का नाम और और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है

इसके पश्चात 32 नंबर

Submit

यहाँ पर आप के द्वारा संपत्ति पर लगाए गए दावों को दर्ज करने के लिए सबमिट बटन को दबाएंगे तो आप को एक OTP प्राप्त होगा| इस OTP को भरने के बाद आप का दावा स्वीकार कर लिया जायेगा |

दावा स्वीकार हो जाने के कम से कम 30 दिन पश्चात् आपको सुचना दी जाएगी की आप का दावा संशोधित हुआ की नहीं | यदि आपको नगर पालिका किसी कारणवश बुलाना हुआ तो आपको बुलाया जायेगा या नगर पालिका के कर्मचारी आपके पास आकर पुनः आपके दावों की पुष्टि करेंगे|

ध्यान दें |

- ऑफ लाइन फॉर्म में आप इंग्लिश रोमन कैपिटल में लिखें |
- यदि इस फॉर्म में जिस क्षेत्र में दी गई जानकारी सही है तो आप उस क्षेत्र को अपरिवर्तित छोड़ दें|
- किस दावें में कौन सा दस्तावेज़ लगेगा उस के लिए आप संपत्ति प्रमाण का विवरण को देखें | संपत्ति प्रमाण का विवरण इस जानकारी/सूचना के आखरी में दिया गया है |
- दावों से सम्बंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बगल में दिए गए अपलोड क्षेत्र में दावों से सम्बंधित दस्तावेजों को अपलोड करें|
- आप के अनुरोध से सम्बंधित दावों के जितने ज्यादा दस्तावेजों को आप अपलोड/संग्लन करेंगें उतना आप को नगर पालिका बुलाने की सम्भावना कम होगी| नगर पालिका आप को शक्ति देता है कि आप अपने दावों से सम्बंधित दस्तावेजों को एक से ज्यादा दस्तावेजों को अपलोड/संग्लन कर सकते है|
- जिस क्षेत्र को आप परिवर्तन करते है तो आप को परिवर्तन हेतू आप को सबूत के तौर पर हर दावों से सम्बंधित दस्तावेजों को अपलोड/संग्लन करना अनिवार्य है|
- अगर आप की संपत्ति से सम्बंधित किसी दावे का कोई दस्तावेज एक पेज से अधिक/ लम्बा पेज है तो आप से अनुरोध है की उस दस्तावेज को कृपया स्कैनर (scan, cam Scanner, other scan app. etc) के माध्यम से सब पेजो को मर्ज करके एक PDF बनाकर अपलोड/संग्लन करें| एक दस्तावेज के अलग-अलग पेजो को अपलोड/संग्लन न करें, इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा|
- आप से अनुरोध किया जाता है कि आप स्पष्ट और Low Resolution में अपने दस्तावेजो को अपलोड/संग्लन करें |
- एक पेज से अधिक पेज वाले दस्तावेजों को सिर्फ PDF Format में ही स्वीकार किया जायेगा| जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, सेल डीड, राजस्व रिकॉर्ड आदि विधिक दस्तावेज|
- अगर कब्जाधारी किरायेदार है या संपत्ति किसी तरह के उपयोग के लिए किराये पर दी गई है तो कृपया अपनी संपत्ति का Property Related क्षेत्र में Actual Annual Rent Value वाले कॉलम में वार्षिक किराया दर्ज करें | कानून के तहत भी अपना वार्षिक किराया की जानकारी देना अनिवार्य है|
- संपत्ति के मालिकाना में अगर 18 वर्ष से कम विवाहित युवती है तो 18 वर्ष से कम विवाहित युवतियो को अपने पति का नाम दर्ज करना अनिवार्य है

- यदि संपत्ति के विवरण में परिवर्तन किसी ऐसी वस्तु से सम्बंधित है जिसका उल्लेख इस फार्म में नहीं किया गया है तो कृपया एक सादे कागज पर लिखकर अपने अनुरोध को नगर पालिका के दफ्तर में जमा कर करायें|

संपत्ति प्रमाण का विवरण DETAILS OF PROPERTY PROOF

कृपया जमा किए गए दस्तावेजों के लिए बॉक्स में टिक (√) करें। **Please put a check mark (√) in box for documents submitted.**

Category	PTR	PR	RR	SD	RW	RA	Aadhaar card	PC	DL	AL	EB	TB	VC	FV	PP	MC	AO	DR*
नाम सुधार Name Spelling Correction	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y		Y			2
निवासी का नाम Occupier Name	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y		Y			2
पति/पत्नी का नाम Spouse Name	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y		Y	Y		1
पता Address	Y	Y		Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				Y	2
निर्मित क्षेत्र Covered Area	Y	Y		Y						Y				Y			Y	1
संपत्ति का उपयोग Property Use	Y	Y												Y			Y	1
बकाया राशि Arrears	Y																	1

- **PTR** - S.M.C की संपत्ति कर रसीद / Property Tax receipt of S.M.C ☐
- **PR** - प्रॉपर्टी रजिस्ट्री / Property Registry ☐
- **SD** - सेल डीड / Sale Deed ☐
- **RA** - किराया समझौता / Rent Agreement ☐
- **RR** - राजस्व रिकॉर्ड / Revenue Record ☐
- **PP** - पासपोर्ट / Passport ☐
- **RC** - राशन कार्ड / Ration Card ☐
- **PC** - पैन कार्ड / PAN Card ☐
- **DL** - ड्राइविंग लाइसेंस / Driving License ☐
- **AL** - वास्तुविद पत्र / Architect Letter ☐
- **EB** - इलेक्ट्रिक बिल / Electric Bill ☐
- **MC** - विवाह प्रमाण पत्र / Marriage Certificate ☐
- **TB** - टेलीफोन बिल / Telephone Bill ☐
- **VC** - वोटर कार्ड / Voter Card ☐
- **FV** - फील्ड सत्यापन (एसएमसी स्टाफ) / Field Verification(SMC Staff) ☐
- **RW** - वसीयत या उपहार / Registered Will or Gift deed ☐
- **AO** - अन्य (केवल वैध दस्तावेज) / Other (Only Valid Documents) ☐

* **DR** - आवश्यक दस्तावेज़ की संख्या | No. of Document Required